METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

एडीजीसी श्री संजय सिंह

पैरोकार का0 संतोष कुमार तिवारी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं 35,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 24.10.2010 समय 5.00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री को घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से गोली मार कर मृत्यु कारित कर देने पर मु0अ0सं0 690/2010 धारा 452,307 भादवि थाना गौरीगंज पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 05.04.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे-4 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तगण को *सश्रम आजीवन कारावास एवं 35,000/- रुपये अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्तगण को *सश्रम आजीवन कारावास।*
- *अभियुक्तगण को 35,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास।*

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- ***1.हरी प्रसाद पुत्र मुंशीलाल चौहान, 2.अखिलेश पुत्र हरिप्रसाद चौहान निवासीगण नन्दा का पुरवा बरनाटीकर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।***

@amethipolice

सोशल मीडिया सेल अमेठी